उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-।

संख्याः-दो-8-2006, दिनांकः जनवरी 23 ,2007

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः पुलिस विभाग के कान्स0, हे0कान्स0, अर्दली, प्यून एवं विभिन्न मुख्यालयों में नियुक्त फर्राश/भिश्ती/पानीवाला/स्वीपर/बण्डर लिफ्टर तथा टिन्डैल कर्मियों को देय वर्दी के सामान्य आइटमों के स्थान पर वर्दी मूल्य की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्याः 4745/6-पु-7-06-12/85, दिनांकः 22 नवम्बर, 2006 एवं 5876/6-पु-7-06-12/85, दिनांकः26 दिसम्बर, 2006 (छायाप्रतियॉ संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस वर्दी विनियम के प्रस्तर-272 एवं 244 में आंशिक संशोधन करते हुये शासन ने कतिपय वर्दी वस्तुओं को छोड़कर प्रदेश के कान्स0, हेड कान्स0 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो, जिन्हें निःशुल्क वर्दी देय है, को वर्दी के सामान्य आइटमों के स्थान पर वर्दी मूल्य की प्रतिपूर्ति किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उक्त शासनादेश, दिनांकः 22 नवम्बर, 2006 के अनुसार प्रदेश के समस्त शाखाओं के हेड कान्सटेबिल, नायक, लान्स नायक तथा कान्सटेबिल और अर्दली एवं अस्पताल के चपरासी, मोटर ड्राइवर (गांव के चौकीदारों को छोड़कर) को देय कतिपय वर्दी वस्तुयें यथा- लाल/खाकी पगड़ी क्लॉथ, नीला कुल्हा/झब्बा, जैकेट, पैकेटबैग, बरसाती, खाकी वेब इन्कलेट जोड़ा, स्कैवर्ड बायोनेट एवं वेब फाग, कवरिंग अल्मोनियम वाटर बाटल मय कैरियर व सिलिंग, वेब पाउच ट्रिपिल, ब्रासेज नार्मल, खाकी वेब हैवरसेक, फाइवर ग्लास हेलमेट, एस.एस.एच लेफ्ट/राइट व खाकी कुल्हा तथा शासनादेश दिनॉक 26.12.2006 के अनुसार विभिन्न मुख्यालयों के फर्राश/भिश्ती/पानीवाला/स्वीपर/बण्डर लिफ्टर तथा टिन्डैल को देय खाकी ड्रिल फ़टीग कैप, जिनकी क्रय व्यवस्था यथावत् विभाग स्तर पर की जायेगी, को छोड़कर उत्तर प्रदेश पुलिस वर्दी विनियम में निर्धारित शेष वर्दी वस्तुओं के कयार्थ समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार वर्दी मूल्य की प्रतिपूर्ति धनराशि वर्ष में एक बार की जायेगी।

3- ज्ञातव्य है कि चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के अन्तर्गत जनपद/इकाई/पीएसी वाहिनियों से संबंधित पारित मॉगपत्र के समक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस केन्द्रीय भण्डार, कानपुर के माध्यम से वर्दी वस्तुओं की आंशिक सम्पूर्ति की जा चुकी है तथा शेष मात्रा की सम्पूर्ति हेतु विभाग प्रयासरत है। ऐसी स्थिति में आगामी वित्तीय वर्ष 2007-08 से उक्त शासनादेश, दिनांकः 22 नवम्बर, 2006 एवं 26 दिसम्बर, 2006 में प्रतिधानित व्यवस्था का कियान्वयन सुगमता से किया जा सकेगा।

4- जनपद/इकाई/पीएसी वाहिनियों के विभिन्न संवर्गो में नियुक्त पुलिस कर्मियों हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस वर्दी विनियम-1986 में पृथक-पृथक वर्दी वस्तुओं की देय मात्रा एवं उपयोजिता अवधि निर्धारित है। विभिन्न संवर्गो में नियुक्त पुलिस कर्मियों को वास्तव में कौन-कौन सी वर्दी वस्तुयें कितनी अवधि के लिये अनुमन्य है, की सम्यक् जानकारी जनपद/इकाई/पीएसी वाहिनी स्तर पर उपलब्ध नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये संवर्गवार वर्दी वस्तुओं की देयता से संबंधित बुकलेट पृथक से तैयार करके आपको भेजी जा रही है।

5- शासनादेश, दिनांकः 22 नवम्बर, 2006 एवं शासनादेश दिनॉक 26 दिसम्बर, 2006 में प्रावधानित व्यवस्था के कियान्वयन हेतु निम्न प्रकिया जनपद/इकाई/पीएसी वाहिनी स्तर पर अपनाई जायेगी:-

(1) जनपद/इकाई/पीएसी वाहिनियों से प्रश्नगत शासनादेशों में उल्लिखित कुल 20 वर्दी वस्तुओं का वार्षिक मॉगपत्र प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश पुलिस वर्दी विनियम में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार पुलिस मुख्यालय द्वारा पूर्ववत पारित किया जावेगा।

(2) गांव चौकीदारों, पुलिस/पीएसी अस्पताल की साज-सज्जा, सैडलरी वस्तुयें आदि का मॉगपत्र यथावत् पुलिस मुख्यालय को सम्पूर्ति हेतु भेजा जायेगा।

(3) कतिपय वस्तुयें यथा कम्बल, हवालात, हथकड़ी मय रस्सी एवं विगुल जो पुलिस कर्मियों की व्यक्तिगत किट नहीं हैं, का मॉगपत्र पूर्ववत् पुलिस मुख्यालय को सम्पूर्ति हेतु प्रेषित किया जायेगा।

(4) जनपद/पीएसी/इकाई स्तर पर उपलब्ध भण्डार से जिन सामान्य वर्दी वस्तुओं हेतु भत्ता स्वीकृत किया गया है, का अवश्यमेव वितरण दिनांकः 31.3.2007 से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाये।

(5) पुलिस जवानों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों द्वारा धारण की जाने वाली वर्दी वस्तुओं की एकरूपता बनाये रखने का दायित्व स्वयं कर्मचारियों तथा कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष का होगा।

6- वार्षिक वर्दी प्रतिपूर्ति धनराशि का भुगतान किये जाने के पूर्व संबंधित अधिकारी संतुष्टि हो लेगे कि:-

(1) वे वस्तुयें, जिनके संबंध में यह वर्दी प्रतिपूर्ति धनराशि दी गयी है, जवानों/चतुर्थ श्रेणी कर्मियों द्वारा क्रय कर ली गयी हैं और वे वर्दी विनियम के अध्याय-2 में दी गयी निर्दिष्टयों के अनुसार हैं।

(2) संबंधित वस्तुओं के क्रय में निहित धनराशि के बराबर तक के व्यय की प्रतिपूर्ति वर्ष में एक बार तभी की जायेगी जब संबंधित कर्मी द्वारा उल्लिखित वर्दी वस्तुयें क्रय कर ली गयी हो तथा उनका समुचित उपयोग सुनिश्चित किया गया हो।

7- वर्दीमूल्य प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि शासन में निहित निर्देशानुसार कान्स0 व हेड कान्स0 प्रतिकर्मी रू0 1200/-, अर्दली व प्यून प्रतिकर्मी रू0 1000/- एवं फर्राश/भिश्ती/पानीवाला/स्वीपर/बण्डर लिफ्टर/टिन्डैल प्रतिकर्मी रू0 800/- वार्षिक से अधिक नही होगी।

8- पुलिस विभाग के समस्त शाखाओं के हेड कान्सटेबिल, नायक, लान्स नायक, कान्सटेबिल और अर्दली एवं अस्पताल के चपरासी, मोटर ड्राइवर तथा अन्य चतुर्थश्रेणी के कर्मियों को देय वर्दी के सामान्य आइटमों के मूल्य की प्रतिपूर्ति पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या:26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2055-पुलिस आयोजनेत्तर एवं 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत ''06-अन्य भत्ते'' की मद से वहन किया जायेगा।

9- जनपद/इकाई/पीएसी वाहिनियों की विभिन्न शाखा/संवर्गों में नियुक्त पुलिस कर्मियों के पास किट कार्ड उपलब्ध रहता है। प्रत्येक पुलिस कर्मी सामान्य वर्दी वस्तुओं को अनिवार्य रूप से क्रय करके इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करेगें तथा इसकी प्रविष्टि कर्मियों द्वारा स्वयं किट कार्ड में की जावेगी, जिसका भौतिक सत्यापन [illegible] ए.ई.आर./सी.ई.आर. के समय सक्षम अधिकारी द्वारा किट कार्ड से किया जायेगा।

10- पुलिस कर्मियों को प्रतिवर्ष वर्दी मूल्य प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि का कर्मीवार पूर्ण विवरण जनपद/इकाई/पीएसी वाहिनी स्तर पर अवश्य रखा जावेगा, तथा भत्ते की धनराशि का आहरण/भुगतान हिन्दी आदेश पुस्तिका में प्रविष्टि करने के उपरान्त पुलिस कर्मी को किया जायेगा। तदोपरान्त इस आशय की प्रविष्टि पुलिस कर्मी की चरित्र पंजिका/सेवाअभिलेख में भी की जायेगी।

11- पुलिस जवानों/अर्दली/प्यूनों एवं अन्य चतुर्थश्रेणी के कर्मचारियों द्वारा [illegible] की गयी वर्दी उत्तर प्रदेश पुलिस वर्दी विनियम के अध्याय-2 में निर्धारित पटर्न/मानक के अनुसार हो, यह सम्बन्धित कर्मी का स्वयं का दायित्व/कर्तव्य होगा। इस पर प्रभावी नियंत्रण जनपद/इकाई/पीएसी वाहिनियों के प्रभारी द्वारा भी सुनिश्चित किया जायेगा। निर्धारित मानक/पैटर्न/शेड के अतिरिक्त अन्य कोई परिधान/साज-सज्जा एवं बैजेज जवानों द्वारा धारण नहीं किये जायेगे।

12- पुलिस जवानों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को प्रतिवर्ष वर्दी मूल्य प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि से संबंधित रजिस्टर का निरीक्षण क्षेत्राधिकारी पुलिस लाइन्स, अपर पुलिस अधीक्षक, प्रभारी पुलिस लाइन्स एवं प्रभारी जनपद/इकाई/पीएसी द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।

13- पुलिस जवानों/अर्दली/प्यूनों एवं अन्य चतुर्थश्रेणी कर्मियों जिन्हें निःशुल्क वर्दी देय है, द्वारा उ0प्र0 पुलिस वर्दी विनियम में निर्दिष्ट सभी वर्दी वस्तुएं (पूर्ण किट) अवश्य रखी जायेगी।

14- सेवानिवृत्ति/मृत्यु/वर्दी वस्तु की उपयोजिता अवधि की समाप्ति के उपरान्त जिन सामान्य वर्दी वस्तुओं हेतु दिनांकः 31.3.2007 तक वर्दी सम्पूर्ति की गयी है, को भण्डार में पूर्व स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जमा करवाकर उनका निस्तारण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत किया जावेगा।

15- दिनांकः 31.3.2007 के उपरान्त जिन अनुमन्य सामान्य वर्दी वस्तुओं हेतु वर्दी भत्ता स्वीकृत किया जायेगा, उपयोजिता अवधि समाप्त होने पर इन्हें भण्डार में जमा नहीं किया जावेगा, परन्तु जो वस्तुए यथावत् विभाग द्वारा क्रय करके जवानों को सम्पूर्ति की जायेगी, उपयोजिता अवधि समाप्ति पर प्रस्तर-14 के अनुसार उनका निस्तारण किया जायेगा।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

23.01.07

(श्रीराम त्रिपाठी)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुख्यालय,
निमित्त अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,
उ0प्र0।

फैक्स

संख्या-5876/6-पु-7-06-12/85

प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।

गृह (पुलिस) अनुभाग-7

लखनऊः दिनांकः 26 दिसम्बर,2006

विषयः- पुलिस मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, अभिसूचना मुख्यालय, पी0ए0सी0 मुख्यालय तथा अपराध अनुसंधान विभाग मुख्यालय के फर्राश/भिश्ती/पानीवाला/ स्वीपर/बन्डल लिफ्टर तथा टिन्डेल को देय वर्दी के सामान्य आइटमों के स्थान पर वर्दी मूल्य की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-दो-8-2005, दिनांक 05.10.2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, अभिसूचना मुख्यालय, पी0ए0सी0 मुख्यालय तथा अपराध अनुसंधान विभाग मुख्यालय के फर्राश/भिश्ती/पानीवाला/स्वीपर/बन्डल लिफ्टर तथा टिन्डेल जिन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस वर्दी विनियम के प्रस्तर 244 की व्यवस्थानुसार वर्तमान में निःशुल्क वर्दी देय है, को अब देय वर्दी के सामान्य आइटमों के स्थान पर वर्दी मूल्य की प्रतिपूर्ति किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतएव पुलिस विभाग के विभिन्न मुख्यालयों में कार्यरत फर्राश/भिश्ती/पानीवाला/ स्वीपर/बन्डल लिफ्टर तथा टिन्डेल को देय वर्दी के सामान्य आइटमों के स्थान पर वर्दी मूल्य की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु उ0प्र0 पुलिस वर्दी विनियम के प्रस्तर 244 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

उ0प्र0 पुलिस वर्दी विनियम के प्रस्तर 244 में उल्लिखित व्यवस्था	उ0प्र0 पुलिस वर्दी विनियम के प्रस्तर 244 में प्रस्तावित आंशिक संशोधन
पुलिस मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, अभिसूचना मुख्यालय, पी0ए0सी0 मुख्यालय तथा अपराध अनुसंधान मुख्यालय के फर्राश, भिश्ती, पानीवाला, स्वीपर, बन्डल लिफ्टर तथा टिन्डेल को परिशिष्ट 'झ' में निर्धारित वर्दी दी जायेगी।	पुलिस मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, अभिसूचना मुख्यालय, पी0ए0सी0 मुख्यालय तथा अपराध अनुसंधान मुख्यालय के फर्राश, भिश्ती, पानीवाला, स्वीपर, बन्डल लिफ्टर तथा टिन्डेल को परिशिष्ट 'झ' में निर्धारित वर्दी वस्तुओं में से खाकी ड्रिल फटीग कैप, जिसका क्रय विभाग द्वारा किया जायेगा, को छोड़कर इस विनियम में निर्धारित शेष वर्दी वस्तुओं के क्रयार्थ समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार वर्दी मूल्य की प्रतिपूर्ति धनराशि वर्ष में एक बार पायेंगे। वार्षिक वर्दी प्रतिपूर्ति धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी संतुष्टि कर लेंगे कि:- (1) वे वस्तुयें, जिनके संबंध में यह वर्दी प्रतिपूर्ति धनराशि दिया गया है, कर्मी द्वारा क्रय कर ली गयी हैं और वे वर्दी विनियम के अध्याय-2 में दी गयी निर्दिष्टियों के अनुसार हैं तथा

पुलिस उप महानिरीक्षक, मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।

	(2) सम्बन्धित वस्तुओं के क्रय में निहित धनराशि के बराबर तक के व्यय की प्रतिपूर्ति वर्ष में एक बार तभी की जाय जब सम्बन्धित कर्मी द्वारा उल्लिखित वर्दी वस्तुएं क्रय कर ली गयी हैं तथा उनका समुचित उपयोग सुनिश्चित किया गया हो। (3) वार्षिक वर्दी मूल्य प्रतिपूर्ति धनराशि प्रचलित आदेशों के अन्तर्गत दिया गया है ।

2. उक्त संशोधन के फलस्वरूप उ0प्र0 पुलिस वर्दी विनियम (अप्रैल,1986) के प्रस्तर-244 एवं संबंधित परिशिष्ट-'झ', जहां निर्धारित वर्दी दिये जाने का उल्लेख है, के स्थान पर वर्दी मूल्य प्रतिपूर्ति धनराशि पढ़ा जायेगा।

3. उक्त प्रयोजनार्थ वर्दी मूल्य प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि पुलिस विभाग के विभिन्न मुख्यालयों में कार्यरत फर्राश, भिश्ती, पानीवाला, स्वीपर, बन्डल लिफ्टर तथा टिन्डेल के सम्बन्ध में प्रति कर्मी रू0 800/- वार्षिक से अधिक नहीं होगी।

4. अतएव अनुरोध है कि कृपया उक्त सीमा तक उ0प्र0 पुलिस वर्दी विनियम को संशोधित हुआ समझा जाय।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1870/दस-2006, दिनांक 19 दिसम्बर,2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूण कुमार सिन्हा)
सचिव

संख्या-5074(1)/6-पु-7-06-12/85, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा/आडिट, प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद मिश्र)
विशेष सचिव

G.O.R.-~~120~~-(204)

4066
27/11/06

संख्या-4745/6-पु-7-06-12/85

प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद

गृह (पुलिस) अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक: 21 नवम्बर,2006

विषयः- **पुलिस विभाग के कान्स0, हेड0 कान्स0, अर्दली, प्यून कर्मियों को देय वर्दी के सामान्य आइटमों के स्थान पर वर्दी मूल्य की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-दो-8-2005, दिनांक 05-10-2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस विभाग के कान्स0, हेड0 कान्स0 तथा अन्य कर्मचारी जिन्हें पुलिस वर्दी विनियम के प्रस्तर 272 की व्यवस्थानुसार वर्तमान में निर्धारित वर्दी का कपड़ा, सिलाई व्यय एवं अन्य वर्दी वस्तुयें निःशुल्क दी जाती हैं, उन्हें अब देय वर्दी के सामान्य आइटमों के स्थान पर वर्दी मूल्य की प्रतिपूर्ति किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतएव प्रदेश के हेड कान्स0/कान्स0 तथा अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें निःशुल्क वर्दी देय है, को वर्दी के सामान्य आइटमों के स्थान पर वर्दी के मूल्य की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु उ0प्र0 पुलिस वर्दी विनियम के प्रस्तर 272 'हेड कान्सटेबिल, नायक, लान्स नायक तथा कान्सटेबिल' में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

उ0प्र0 पुलिस वर्दी विनियम के प्रस्तर-272 में उल्लिखित व्यवस्था	उ0प्र0 पुलिस वर्दी विनियम के प्रस्तर-272 में प्रस्तावित आंशिक संशोधन
समस्त शाखाओं के हेड कान्सटेबिल, नायक, लान्स नायक तथा कान्सटेबिल और अर्दली एवं अस्पताल के चपरासी, मोटर ड्राईवर, (गांव के चौकीदारों को छोड़कर) इस विनियिम में निर्धारित वर्दी का कपड़ा, सिलाई व्यय एवं अन्य वर्दी वस्तुयें निःशुल्क प्रदान की जायेंगी। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अध्याय-2 में प्रत्येक वस्तु की निर्धारित अवधि तक के लिए उन्हें बरामद दशा में रखेंगे। यदि किसी वस्तु को अध्याय-2 में दी गयी उपयोगिता अवधि के पूर्व बदल दिया जाता है तो संबंधित अधिकारी या व्यक्ति, जब तक कि दोष हल्का करने वाली परिस्थितियां विद्यमान हों, बदलने की मूल्य का उचित अनुपात में भुगतान	समस्त शाखाओं के हेड कान्सटेबिल, नायक, लान्स नायक तथा कान्सटेबिल और अर्दली एवं अस्पताल के चपरासी, मोटर ड्राईवर (गांव के चौकीदारों को छोड़कर) कतिपय वर्दी वस्तुयें यथा लाल/खाकी पगड़ी क्लाथ नीला कुल्हा/झब्बा, जैकेट, किटबैग, बरसाती, खाकी वेब इन्कलेट जोड़ा, स्कैवर्ड बायोनेट एवं वेब फ्राग, कवरिंग अल्मोनियम वाटर बाटल मय कैरियर व सिलिंग, वेब पाउच ट्रिपिल, ब्रासेज नार्मल, खाकी वेब हैबरसेक, फाइबर ग्लास हेल्मेट, एस0एस0एच0 लेफ्ट/राइट व खाकी कुल्हा, जिनका क्रय विभाग द्वारा किया जायेगा, को छोड़कर इस विनियम में निर्धारित शेष वर्दी वस्तुओं के क्रयार्थ समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार वर्दी मूल्य की प्रतिपूर्ति धनराशि वर्ष में एकबार पायेंगे। वार्षिक वर्दी प्रतिपूर्ति धनराशि

DIG HQ
22/11/06

अपर उप महानिरीक्षक, मुख्यालय
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।
27/11/06

करेगा जिसे भुगतान किये जाने के आदेश दिये गये हों। मूल्य के अनुपात का निश्चय पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा और उस अवधि पर आधारित होगा जिस अवधि के दौरान वह वस्तु प्रयुक्त की गयी हों, जैसा कि पुलिस अधीक्षकों के आफिस मैनुअल के पैराग्राफ-349 में विवरण दिया गया है। यह सिद्धान्त घुड़सवार पुलिस के लिए सैडलरी तथा अस्तबल उपकरण (स्टेबल गेयर) पर भी लागू होगा।

गांव के चौकी दारों को इस विनियम में निर्धारित वर्दी की समस्त वस्तुओं निःशुल्क प्रदान की जायेंगी।

का भुगतान किये जाने के पूर्व सम्बन्धित अधिकारी संतुष्टि कर लेंगे कि:-

(1) वे वस्तुयें, जिनके संबंध में यह वर्दी प्रतिपूर्ति धनराशि दिया गया है, जवानों द्वारा क्रय कर ली गयी हैं और वे वर्दी विनियम के अध्याय-2 में दी गयी निर्दिष्टियों के अनुसार हैं तथा

(2) सम्बन्धित वस्तुओं के क्रय में निहित धनराशि के बराबर तक के व्यय की प्रतिपूर्ति वर्ष में एक बार तभी की जाय जब सम्बन्धित कर्मी द्वारा उल्लिखित वर्दी वस्तुएं क्रय कर ली गयी हैं तथा उनका समुचित उपयोग सुनिश्चित किया गया हो।

(3) वार्षिक वर्दी मूल्य प्रतिपूर्ति धनराशि प्रचलित आदेशों के अन्तर्गत दिया गया है।

2. उक्त संशोधन के फलस्वरूप, उ0प्र0 पुलिस वर्दी विनियम (अप्रैल,1986) के प्रस्तर-272 एवं संबंधित परिशिष्टों, जहां वर्दी का कपड़ा व सिलाई व्यय का उल्लेख है, के स्थान पर वर्दी मूल्य प्रतिपूर्ति धनराशि पढ़ा जायेगा।

3. उक्त प्रयोजनार्थ वर्दी मूल्य प्रतिपूर्ति की जाने वाली धनराशि हेड कान्स0/कान्स0 के सम्बन्ध में प्रति कर्मी रू0 1200/-, अर्दली, प्यून के सम्बन्ध में प्रति कर्मी रू0 1000/- वार्षिक से अधिक नहीं होगी।

4. अतएव अनुरोध है कि कृपया उक्त सीमा तक उ0प्र0 पुलिस वर्दी विनियम को संशोधित हुआ समझा जाय।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1756/दस-2006, दिनांक 21 नवम्बर,2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूण कुमार सिन्हा)
सचिव

संख्या-4745(1)/6-पु-7-06-12/85, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा/आडिट, प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कमला सक्सेना)
विशेष सचिव